



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267683
CG-DL-E-14112025-267683

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 734]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2025/कार्तिक 22, 1947

No. 734]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2025/KARTIKA 22, 1947

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

फा. सं. एल-1/261/2021/सीईआरसी.— दिनांक 09.09.2025 को भारत के असाधारण राजपत्र (भाग III, खंड 4, संख्या 622) में प्रकाशित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता और सामान्य नेटवर्क पहुंच) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2025 के संबंध में अधिसूचना संख्या एल-1/261/2021/सीईआरसी दिनांक 31.08.2025 में, निम्नलिखित शुद्धियां की गई हैं:

1. पेज 14 में — विनियम 9.3.1 के अधीन, शब्दों "जीएनए की प्रभावी तारीख" को शब्दों "संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख" के रूप में पढ़ा जाएगा।
2. पेज 20 में — विनियम 11क के खंड (6) के शीर्षक में, "या नवीकरणीय पावर पार्क विकासकर्ता" शब्दों को "ईएसएस (पीएसपी को छोड़कर)" शब्दों के बाद अंतर्वेशित किया जाएगा।
3. पेज 22 में — विनियम 11ग के खंड (1)(ख) के प्रथम परंतुक के अधीन, शब्दों "जीएनए की प्रभावी तारीख" को शब्दों "संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख" के रूप में पढ़ा जाएगा।
4. पेज 22 में — विनियम 11ग के खंड (1)(घ) के अधीन, शब्दों "म की संयोजकता की आरंभ तारीख" को "शब्दों म की संयोजकता की निश्चित आरंभ तारीख" के रूप में पढ़ा जाएगा।

5. पेज 28 में – विनियम 25.1 के खंड (ख-1) के मुख्य पैराग्राफ के अधीन, शब्दों "और कन-बीजी3 को नगदीकृत किया जाएगा" को शब्दों "और कन-बीजी3 को अधित्याग की गई मात्रा के समरूप नगदीकृत किया जाएगा" के रूप में पढ़ा जाएगा।

हरप्रीत सिंह प्रुथी, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./470/2025-26]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 4th November, 2025

F. No. L-1/261/2021/CERC — In the notification No. L-1/261/2021/CERC dated 31.08.2025 regarding the Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) (Third Amendment) Regulations, 2025, published in the Gazette of India Extraordinary (Part-III, Section-4, No. 622) on 09.09.2025, the following corrections are made:

1. At Page 58 – Under Regulation 9.3.1, the words "effective date of GNA" shall be read as "firm Start date of Connectivity".
2. At Page 66- In Title of Clause (6) of Regulation 11A, the words "or Renewable power park developer" shall be inserted after the words "ESS (excluding PSP)".
3. At Page 67 – Under the first proviso of clause (1)(b) of Regulation 11C, the words "effective date of GNA" shall be read as "firm Start date of Connectivity".
4. At Page 68 – Under clause (1)(d) of Regulation 11C, the words "start date of Connectivity of 'Y'" shall be read as "firm start date of Connectivity of 'Y'".
5. At Page 76 – Under the main paragraph of clause (b-i) of Regulation 25.1, the words "and Conn-BG3 shall be encashed" shall be read as "and Conn-BG3 shall be encashed corresponding to relinquished quantum".

HARPREET SINGH PRUTHI, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./470/2025-26]